UPJL010046732025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

उपस्थित विरजेन्द्र कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

दाण्डिक अपील संख्या 49/2025

गौरव सिंह उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र श्री रूप सिंह निवासी ग्राम नीमगॉव थाना कुठौन्द, जिला जालौन.....अपीलार्थी/अभियुक्त

प्रति

1.राज्य उत्तर प्रदेश

2.सुरेन्द्र सिंह उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र जन्डेल सिंह निवासी ग्राम निनावली कोठी, थाना कुठौन्द, जिला जालौन।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी,

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील परिवाद संख्या 416/2023 सुरेन्द्र सिंह बनाम गौरव सिंह अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट थाना कुठौन्द, जिला जालौन में पारित निर्णय दिनांकित 21.07.2025 के विरूद्ध योजित करी गयी है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवाद में अपीलार्थी/अभियुक्त/प्रतिपक्षी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया गया है।

2. संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त/प्रतिपक्षी गौरव सिंह के विरूद्ध परिवाद इस तथ्य के साथ पेश करा गया था कि प्रतिपक्षी/अभियुक्त ने वादी को दिनांक 27.01.2021 को सब–रजिस्ट्रार माधौगढ़ में मुव0–7,00,000/–रूपये में कब्जा मुहायदा किया था और प्रतिपक्षी ने परिवादी से यह कहा कि हम अपना मुहायदा वापस लेना चाहते हैं तो परिवादी ने प्रतिपक्षी से कहा कि तुम हमारे रूपये वापस कर दो और अपना मुहायदा वापस करवा लो और इस बात पर प्रतिपक्षी राजी भी हो गया था। प्रतिपक्षी ने दिनांक 13.10.2022 को सब–रजिस्ट्रार माधौगढ़ के कार्यालय में आकर अपना मुहायदा परिवादी से वापस करवा लिया, जिसमें प्रतिपक्षी ने चेक संख्या 252176 खाता संख्या 610610700003437 आर्यावर्त बैंक शाखा शेखपुर जागीर के मु0 3,50,000/–रूपये की चेक अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दी और जब परिवादी के द्वारा दिनांक 19.11.2022 को चेक संख्या 252176 खाता संख्या 347000303519 भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुठौंद में लगायी तो बैंक द्वारा

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:33:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिटर्न मेमो के साथ पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वापस कर दी गयी। इसके बाद परिवादी ने पुनः चेक संख्या 252176 दिनांक 28.12.2022 को खाते में लगायी तो बैंक द्वारा पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वापस कर दी गयी। परिवादी ने प्रतिपक्षी से कई बार सम्पर्क किया, किन्तु प्रतिपक्षी ने परिवादी से सम्पर्क नहीं किया। प्रतिपक्षी की मंशा ही नहीं थी कि परिवादी का रूपया दिया जाये, इस वजह से प्रतिपक्षी ने परिवादी के साथ छल कपट कर यह जानते हुए कि खाते में पर्याप्त धनराशि जमा नहीं है, फिर भी चेक प्रदान करी गयी, जो कि दिनांक 19.11.2022 व 28.12.2022 को बाउंस हो गयी, तब परिवादी के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06.01.2023 को नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस में परिवादी के पिता का नाम गलत अंकित हो गया था, जिसके कारण परिवादी के द्वारा पुनः दिनांक 17.01.2023 को प्रतिपक्षी को नोटिस दिया गया और यह प्रार्थना करी गयी कि प्रतिपक्षी को धारा 138 एन0आई0एक्ट में तलब कर चेक की धनराशि मु0 3,50,000/– रूपया परिवादी को दिलाकर प्रतिपक्षी को दण्डित किया जाए।

3. परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा दायर परिवाद पर विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा कार्यवाही अग्रसारित करते हुए दिनांक 28.06.2023 को प्रतिपक्षी गौरव सिंह को बतौर अभियुक्त धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत तलब करा गया। परिवादी तथा प्रतिपक्षी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने केस के समर्थन में साक्ष्य दी गयी और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.07.2025 को परिवाद में निर्णय पारित करा गया और निर्णय दिनांकित 21.07.2025 के द्वारा अभियुक्त गौरव सिंह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए उसे 6 माह के साधारण कारावास तथा मु0 3,50,000/–रूपये के प्रतिकर के दण्ड से दण्डित करा गया और प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि परिवादी को देय होने का आदेश किया गया। निर्णय दिनांकित 21.07.2025 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त/प्रतिपक्षी के द्वारा अपील योजित करी गयी।

4. मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन न करके प्रश्नगत आदेश पारित करा गया है। इस बिन्दु पर भी विचार नहीं करा गया है कि अपीलार्थी तथा परिवादी के मध्य मुहायदा वय वापिसी को लेकर दीवानी प्रकृति का विवाद था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नगत आदेश पारित करा गया। परिवादी के द्वारा एक काल बाधित नोटिस अपीलार्थी को दिया गया था। अपीलार्थी तथा उसके चाचा राजेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी आराजी संख्या 625 रकवा 1.064 हे0 मौजा कुरौली परगना माधौगढ़ का मुहायदा वय उत्तरदाता/प्रतिवादी के साथ दिनांक 27.01.2022 को

निष्पादित किया गया तथा आराजी को आठ लाख रूपये में खरीदने की बात तय हुई थी, जिसमें से सात लाख रूपये अपीलार्थी तथा उसके चाचा राजेन्द्र सिंह को मुहायदा वय निष्पादन के समय दिया जाना था तथा शेष मु0 1,00,000/– रूपये विक्रय पत्र निष्पादन के समय दिया जाना था। परिवादी के द्वारा मु0 7,00,000/– रूपये की अदायगी चेक संख्या 775436 दिनांकित 27.01.2021 के द्वारा अपीलार्थी व उसके चाचा राजेन्द्र सिंह को दी गयी, लेकिन परिवादी के द्वारा उक्त चेकों को यह कहकर वापस ले लिया गया कि वह सात लाख रूपये नकद भुगतान करेगा। अपीलार्थी तथा उसके चाचा राजेन्द्र सिंह के द्वारा परिवादी से सात लाख रूपये अदा किये जाने की मांग निरन्तर की जाती रही, जिसके फलस्वरूप परिवादी ने अपीलार्थी को एक लाख तीस हजार रूपये की चेक दी गयी। इस तथ्य को परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र तथा नोटिस में छिपाया गया है। परिवादी के द्वारा शेष धनराशि मु0 पांच लाख सत्तर हजार रूपये देने में आनाकानी करी जा रही थी, जिस कारण अपीलार्थी के द्वारा एक पंचायत करी गयी, इस पर उत्तरदाता/परिवादी ने मुहायदा वय दिनांक 27.01.2021 को सब–रजिस्ट्रार माधौगढ़ के समक्ष जाकर दिनांक 13.10.2022 को वापस कर दिया। चूंकि मुहायदा वय दिनांक 27.01.2021 में सात लाख रूपये की धनराशि को जरिये चेक के द्वारा दिये जाने का कथन अंकित किया गया था। अतः पंचायत में तय हुई शर्तो के अनुसार अपीलार्थी व उसके चाचा राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने अपने खाते की साढ़े तीन लाख–साढ़े तीन लाख रूपये की चेक देना तय हुआ एवं यह भी तय हुआ कि मुहायदा वय की वापिसी के बाद उपरोक्त चेकें अपीलार्थी व उसके चाचा राजेन्द्र सिंह को उत्तरदाता/परिवादी वापस कर देगा, लेकिन उत्तरदाता/परिवादी द्वारा उक्त चेकें बदनियती से वापस नहीं की और अपीलार्थी के द्वारा उत्तरदाता/परिवादी को दी गयी चेक केवल नुमाइशी चेक थी व पंचायत में तय की गयी शर्तो के अनुरूप ऐसा करा गया था। उत्तरदाता/परिवादी के द्वारा इस तथ्य को छिपाकर परिवाद दाखिल करा गया है। अन्त में यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित करा गया आदेश विधि विरूद्ध है और अपास्त करने हेतु प्रार्थना करी गयी तथा अपीलार्थी अभियुक्त को दोषमुक्त करे जाने के लिए प्रार्थना करी गयी है।

6. प्रतिपक्षी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि परिवादी के द्वारा दिये गये नोटिस काल बाधित नोटिस नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को चेक की वैधता की अवधि में चेक के बाउंस होने पर दो बार चेक को भुगतान हेतु बैंक को पेश किया जा सकता है और परिवादी/चेक जारी करने वाले व्यक्ति को नोटिस देकर चेक के द्वारा अदा करी जाने वाली रकम के लिए नोटिस दे सकता है और यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा वास्तविक तथ्यों के विपरीत एक अलग कहानी बनाते हुए यह दर्शाने की कोशिश करी गयी है कि परिवादी के पास अपीलार्थी

के द्वारा दी गयी चेक भुगतान करने के लिए दी गयी चेक नहीं थी, जो कि पूर्णतया मिथ्या कथन है और यह साक्ष्य से समर्थित नहीं है। आगे उत्तरदाता/परिवादी के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिस जमीन के सम्बन्ध में मुहायदावय लिखा गया था वह जमीन अब भी परिवादी के कब्जे में है तथा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये प्रतिकर की राशि कम करी गयी है और अन्त में अपील निरस्त किये जाने की याचना करी गयी है।

7. उत्तरदाता/परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त गौरव सिंह के विरूद्ध परिवाद धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत योजित करा गया था। प्रत्यर्थी/परिवादी के परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट इसलिए दायर करा गया था, क्योंकि गौरव सिंह के द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी करी गयी चेक वास्ते तीन लाख पचास हजार रूपये बैंक के द्वारा खाता में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित कर दी गयी थी। परिवादी ने अपने परिवाद में यह कथन करा है कि परिवादी/प्रतिपक्षी सुरेन्द्र सिंह तथा अभियुक्त/अपीलार्थी गौरव सिंह के मध्य दिनांक 27.01.2021 को गौरव सिंह तथा राजेन्द्र सिंह की जमीन खरीदने के लिए मुहायदावय किया गया था, लेकिन बाद में अपीलार्थी/अभियुक्त गौरव सिंह के द्वारा मुहायदावय को वापस करने के लिए प्रत्यर्थी/परिवादी से कहा गया तो परिवादी ने यह कहा कि परिवादी का पैसा वापस किये जाने पर मुहायदावय वापस कर दिया जायेगा। दिनांक 13.10.2022 को अपीलार्थी ने सब–रजिस्ट्रार माधौगढ़ के कार्यालय में जाकर अपना मुहायदा परिवादी से वापस करवा लिया तथा अपीलार्थी ने एक चेक संख्या 252176 खाता संख्या 610610700003437 आर्यावर्त बैंक शाखा शेखपुर जागीर की तीन लाख पचास हजार रूपये की चेक अपने हस्ताक्षर कर वादी को दी गयी। अपीलार्थी के द्वारा वादी को दी गयी चेक को परिवादी ने दिनांक 19.11.2022 तथा 28.12.2022 को बैंक में भुगतान हेतु लगाया गया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक को बाउंस कर दिया गया। परिवादी के द्वारा अपीलार्थी/प्रतिपक्षी से कई बार चेक की धनराशि अदा करने हेतु सम्पर्क करा गया, लेकिन अपीलार्थी के द्वारा परिवादी से कोई बातचीत नहीं करी गयी और अन्त में परिवादी ने यह कहा है कि प्रतिपक्षी ने परिवादी के साथ छल कपट कर जानबूझकर ऐसे खाते की चेक जारी करी गयी, जिसमें कि पर्याप्त धनराशि मौजूद नहीं थी।

8. धारा 138 एन0आई0एक्ट के अपराध के किये जाने के लिए परिवादी को निम्न अवयवों को साबित करना आवश्यक होती हैः–

1. ऐसा चेक जारीकर्ता द्वारा किसी वैध रूप से वूसल किये जाने योग्य ऋण या किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए चेक दिया जाना होना चाहिए।

2. चेक में अंकित तिथि से 6 माह के भीतर या उसकी वैधता तिथि के

भीतर जो भी पहले हो चेक को बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

3. बैंक द्वारा चेक का भुगतान न करने के आधार पर उसे वापस कर देना चाहिये।

4. जिस तारीख को बैंक ने चेक को बिना भुगतान के लौटा दिया है उस तारीख से 30 दिन के भीतर प्राप्तकर्ता या चेक के धारक द्वारा बाउंस चेक की राशि का भुगतान करने के लिए चेक जारी करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा।

5. चेक जारीकर्ता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्राप्तकर्ता को चेक की धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर भुगतान पाने वाले व्यक्ति या धारक 01 माह के भीतर परिवाद दायर कर सकता है।

9. परिवादी को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त/अपीलार्थी के द्वारा परिवादी के पक्ष में एक चेक जारी करी गयी थी। यह चेक विधिक दायित्व के आंशिक या पूर्ण भुगतान के लिए प्रयोग किया गया हो। परिवादी के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त गौरव सिंह के द्वारा चेक जारी करने की वजह यह बतायी गयी है कि दिनांक 27.01.2021 को परिवादी/प्रत्यर्थी तथा अपीलार्थी/अभियुक्त के मध्य अपीलार्थी/अभियुक्त तथा राजेन्द्र सिंह की जमीन को सात लाख रूपये में क्रय करने के लिए मुहायदा तय हुआ था, लेकिन बाद में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादी से यह कहा गया कि वह अपना मुहायदा वापस लेना चाहता है, जिस पर परिवादी के द्वारा इस शर्त पर मुहायदा वापस करने को तैयार हुआ कि अपीलार्थी/अभियुक्त भुगतान करी गयी धनराशि को वापस परिवादी को अदा कर दे, जिस पर दिनांक 13.10.2022 को सब रजिस्ट्रार माधौगढ़ के कार्यालय में अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना मुहायदा परिवादी से वापस करवा लिया और परिवादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में चेक संख्या 252176 खाता संख्या 610610700003437 आर्यावर्त बैंक शाखा शेखपुर जागीर की तीन लाख पचास हजार रूपये की चेक जारी करी गयी, लेकिन जब यह चेक परिवादी के द्वारा दिनांक 19.11.2022 तथा 28.12.2022 को भुगतान के लिए बैंक में पेश करी गयी तो यह चेक बाउंस हो गयी।

10. अपीलार्थी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी तथा उसके चाचा राजेन्द्र सिंह की आराजी संख्या 625 रकवा 1.064 हे0 का मुहायदा वय दिनांक 27.01.2021 को परिवादी के पक्ष में निष्पादित करा गया था और यह आराजी परिवादी के द्वारा आठ लाख रूपये में खरीदने की बात तय हुई थी। मुहायदावय की शर्तो के अनुसार परिवादी को सात लाख रूपया अपीलार्थी तथा उसके चाचा को मुहायदावय निष्पादन के समय दिया गया था तथा मु0 एक लाख रूपया विक्रय पत्र के निष्पादन के समय देना था। परिवादी के द्वारा सात लाख रूपये की अदायगी चेक संख्या 775436 दिनांकित

27.01.2021 के द्वारा अपीलार्थी तथा उसके चाचा राजेन्द्र सिंह को दी गयी, लेकिन थोड़ी देर बाद परिवादी के द्वारा उक्त चेक को यह कहकर वापस ले लिया गया कि वह सात लाख रूपये का भुगतान नकद धनराशि के द्वारा कर देगा और इस धनराशि का भुगतान करे जाने की मांग अपीलार्थी व उसके चाचा के द्वारा कई बार करी गयी, जिसके फलस्वरूप परिवादी ने एक लाख तीस हजार रूपये आर्यावर्त बैंक शाखा कुठौंद के खाता की चेक दी गयी। इन सभी तथ्यों को परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र व नोटिस में छिपाया गया है। परिवादी के द्वारा सात लाख रूपये की धनराशि में एक लाख तीस हजार रूपये अपीलार्थी को देने के पश्चात शेष धनराशि पांच लाख सत्तर हजार रूपये का भुगतान करवाने के लिए संभ्रान्त लोगों के समक्ष पंचायत करी गयी। इस पर परिवादी ने मुहायदावय दिनांकित 27.01.2021 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय माधौगढ़ में जाकर दिनांक 13.10.2022 को वापस कर दिया। चूँकि मुहायदावय दिनांक 27.01.2021 में सात लाख रूपये की धनपराशि को चेक द्वारा दिये जाने का कथन अंकित किया गया था, इसलिए पंचायत में तय हुई शर्तो के अनुसार अपीलार्थी व उसके चाचा राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने–अपने खाते की साढ़े तीन लाख–साढ़े तीन लाख रूपये की चेक देना तय हुआ था एवं यह भी तय हुआ था कि उपरोक्त मुहायदावय की वापसी के बाद उपरोक्त चेक अपीलार्थी व उसके चाचा राजेन्द्र सिंह को परिवादी वापस कर देगा, लेकिन परिवादी के द्वारा बदनियती से इन चेक को वापस नहीं किया गया।

अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि उसके द्वारा परिवादी को जारी करी गई चैक संख्या 252176 किसी वैध ऋण या दायित्व के भुगतान के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि चेक संख्या 252176 अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादी के पक्ष में इसलिए जारी करी गई थी, क्योंकि अपीलार्थी तथा उसके चाचा ने परिवादी से मुव0 5,70,000/–रूपये प्राप्त करने के लिए एक पंचायत का आयोजन किया गया था और पंचायत में आकर परिवादी के द्वारा मुहायदावय को वापस करने की बात करी गई, तब मुहायदावय की शर्तो को ध्यान में रखते हुए पंचायत के द्वारा ही अपीलार्थी/अभियुक्त तथा उसके चाचा राजेनद्र सिंह के द्वारा परिवादी के पक्ष में नुमाइशी चेक संख्या 252176 जारी करी गई थी। जबकि परिवादी के द्वारा अपने परिवाद में ऐसा कोई भी कथन नहीं करा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा चेक संख्या 252176 पंचायत के आदेश के अनुपालन में केवल एक नुमाइशी चेक के रूप में परिवादी को दी गई थी।

11. परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दिया गया है और बयान में उसने दिनांक 27.01.2021 को परिवादी तथा अपीलार्थी के मध्य मुहायदावय होने का बयान दिया गया है। साथ में यह भी बयान दिया गया है कि प्रतिपक्षी ने शपथकर्ता से महायदा वापस लेने का कथन करा गया था और

दिनांक 13.10.2022 को रजिस्ट्री कार्यालय माधौगढ़ में प्रतिपक्षी ने अपना मुहायदा परिवादी से वापस करवा लिया था और परिवादी को चैक संख्या 252176 आर्यावर्त बैंक शाखा शेखपुर जागीर की 3,50,000/–रूपये की चैक अपने हस्ताक्षर करके जारी करी गई थी। परिवादी के द्वारा उपरोक्त तथ्य के समर्थन में अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया गया है और इस तथ्य पर परिवादी से जिरह की गई, किन्तु जिरह में इस बिन्दु पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। जिरह में उसने यह बयान दिया है कि मैने दिनांक 27.01.2021 को गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह से उनकी आराजी का मुहायदा 7,00,000/–रूपये में कराया था। मैने 7,00,000/–रूपये की धनराशि में गौरव को 2,20,000/–रूपया नकद और 1,30,000/–रूपया की चैक दी थी। राजेन्द्र सिंह को 3,50,000/–रूपये की एस0बी0आई0 कुठौंद की चेक दी थी। गौरव सिंह को भी एस0बी0आई0 कुठौन्द की चेक दी थी। यह चेक मैने गौरव सिंह को मुहायदा के समय दी थी और राजेन्द्र सिंह को भी मुहायदा के समय चेक दी थी। आगे सुरेन्द्र सिंह ने जिरह किये जाने पर यह बयान दिया गया है कि मुहायदा वापसी इसलिए हुई थी, क्योंकि राजेन्द्र व गौरव सिंह ने मुझसे पैसा देने के लिए कहा था तो मैने वापस कर दिया था। यह कहना गलत है कि राजेन्द्र सिंह व गौरव सिंह ने जो चैके मुहायदा वापसी के समय दी थी, वह अमानत के तौर पर दी हो और यह कहना भी गलत है कि उपरोक्त दोनों चेके किसी ऋण के दायित्व के लिए दी गई हो और आगे उसने जिरह में यह बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि मेरे व राजेन्द्र सिंह एवं गौरव सिंह के बीच में क्षेत्र के संभ्रान्त लोगों के साथ कोई पंचायत हुई हो और यह बात सही है कि मेरे द्वारा प्रेषित दोनों नोटिसों का जबाव गौरव सिंह ने मेरे अधिवक्ता को दिया है। गौरव सिंह द्वारा प्रेषित जबाव नोटिस को मैने पढ़ा, लेकिन मैने उसका कोई जबाव नहीं दिया।

परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से मुहायदावय वापस करने पर उसके एवज में गौरव सिंह के द्वारा मुव0–3,50,000/–रूपये की चेक दिये जाने का बयान दिया गया है और जिरह में स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करा है कि गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह तथा सुरेन्द्र सिंह के मध्य क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों के मध्य इस बिन्दु के सम्बन्ध में कोई पंचायत नहीं हुई है।

विपक्षी गौरव सिंह द्वारा स्वयं डी0डब्लू01 के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ और उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि दिनांक 27.01.2021 को परिवादी तथा शपथकर्ता राजेन्द्र सिंह के मध्य मुहायदावय हुआ था और उपरोक्त राजेन्द्र सिंह ने जमीन बेचने की बात मुब0 आठ लाख रूपये में तय हुई थी, जिसके तहत परिवादी को शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह को सात लाख रूपये मुहायदावय के समय तथा एक लाख रूपये बैनामा के समय देने थे। परिवादी ने उपरोक्त मुहायदावय में सात लाख रूपये की चेक संख्या 775436 से 39 दिनांक 27.01.2021 को दी और उसे

परिवादी द्वारा थोड़ी देर बाद यह कहकर वापस ले लिया कि सात लाख रूपये की उक्त धनराशि परिवादी, शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह को नकद भुगतान करेगा। शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह ने परिवादी से सात लाख रूपये की डिमाण्ड करी गयी, लेकिन बड़ी मुश्किल से परिवादी ने शपथकर्ता के खाते में जुलाई 2021 में एक लाख तीस हजार रूपये की धनराशि जरिये चेक दी। शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह परिवादी से बाकी धनराशि पांच लाख सत्तर हजार रूपये की डिमाण्ड की एवं पंचायत लगवायी तो परिवादी ने मुहायदावय दिनांकित 27.01.2021 दिनांक 13.10.2022 को वापस कर दिया। उक्त पंचायत में नरेन्द्र सिंह, राघवेन्द्र द्विवेदी व बृजपाल सिंह मौजूद थे तथा परिवादी व विपक्षी मौजूद थे। मुहायदावय दिनांकित 27.01.2021 में सात लाख रूपये की धनराशि जरिये चेक द्वारा दिये जाने का कथन था। अतः पंचायत में सात लाख रूपये के बाबत यह तय हुआ कि शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह परिवादी को तीन लाख पचास हजार–तीन लाख पचास हजार रूपये की अपने–अपने खाते की चेक देगें, जिसे परिवादी वापस कर देगा। परिवादी ने मुहायदा वापस कर दिया। पंचायत के अनुसार जो चेके वापस करनी थी वह परिवादी के द्वारा वापस नहीं करी गयी।

डी0डब्लू01 गौरव से जिरह करी गयी है। जिरह में उसने यह बयान दिया है कि मैंने अपनी जमीन का मुहायदा सुरेन्द्र सिंह को तीन लाख पचास हजार रूपये में दिनांक 27.01.2021 को किया था। मैंने सुरेन्द्र सिंह से तीन लाख पचास हजार रूपये की चेक ली थी। मैंने सुरेन्द्र सिंह से अपना मुहायदा दिनांक 13.10.2022 को वापस कराया था। मैंने सुरेन्द्र सिंह को चेक पर हस्ताक्षर बनाकर दिया था। उसमें धनराशि नहीं भरी थी। मुहायदा वापस कराते समय मैं व मेरे ताऊजी राजेन्द्र सिंह मौजूद थे। जिरह में गौरव सिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बयान दिया था कि मैंने अपनी जमीन का मुहायदा सुरेन्द्र सिंह को साढ़े तीन लाख रूपये में किया था, किन्तु अपनी मुख्य परीक्षा में उपरोक्त आराजी को खरीदने–बेचने की बात आठ लाख रूपये में किये जाने का कथन कर रहा है और यह भी बयान दिया है कि उसने सुरेन्द्र सिंह से तीन लाख पचास हजार रूपये की चेक ली थी और आगे उसने यह भी बयान दिया है कि उसने सुरेन्द्र सिंह से अपना मुहायदा दिनांक 13.10.2022 को वापस कराया था। आगे यह भी कहा है कि मैंने सुरेन्द्र सिंह को चेक पर हस्ताक्षर बनाकर दी थी।

यहां पर परिवादी तथा अपीलार्थी के द्वारा दी गयी साक्ष्य से स्पष्ट हो जा रहा है कि परिवादी का केस यह है कि दिनांक 27.01.2021 को गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह ने अपनी जमीन का सात लाख रूपये में विक्रय करने के लिए मुहायदावय किया गया था और इसके समर्थन में परिवादी/प्रत्यर्थी ने अपनी साक्ष्य भी दी है। दूसरी तरफ गौरव सिंह ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि परिवादी तथा गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह के मध्य आराजी विक्रय करने की बात आठ लाख रूपये में तय हुई थी,

जिसमें सात लाख रूपये मुहायदावय के समय देना तथा और एक लाख रूपये बैनामा के समय देना थे, लेकिन जिरह में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि मैंने सुरेन्द्र सिंह को तीन लाख पचास हजार रूपये में मुहायदा किया था और मैंने सुरेन्द्र सिंह से तीन लाख पचास हजार रूपये की चेक दी थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन विश्वास योग्य नहीं रह जाता कि अपीलार्थी व राजेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह के मध्य आराजी के क्रय के लिए आठ लाख रूपये में मुहायदावय किया गया था और इसी कथन को आगे बढ़ाते हुए गौरव सिंह ने यह भी मुख्य परीक्षा में बयान दिया गया है कि परिवादी ने शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह को सात लाख रूपये की चेक दी गयी थी, जिसे कुछ ही देर बाद यह कहकर वापस ले ली थी कि वह इस धनराशि का नकद भुगतान करेगा, लेकिन बाद में उसके द्वारा धनराशि के भुगतान के लिए टाल–मटोल किया जाता रहा और बड़ी मुश्किल से एक लाख तीस हजार रूपये का भुगतान गौरव सिंह के खाते में परिवादी के द्वारा जुलाई 2021 में किया।

अपीलार्थी गौरव सिंह द्वारा यह भी बयान दिया है कि शपथकर्ता व राजेन्द्र सिंह ने परिवादी से बाकी धनराशि की डिमाण्ड की एवं संभ्रान्त व्यक्तियों के द्वारा परिवादी तथा विपक्षी गौरव सिंह तथा राजेन्द्र के मध्य पंचायत कराई गई, जिस पर पंचायत में परिवादी ने मुहायदावय को वापस करने की बात करी गयी, तब मुहायदावय की शर्तो के अनुरूप पंचायत के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गौरव सिंह परिवादी के पक्ष में साढ़े तीन लाख रूपये की नुमाइशी चेक देगा, जिसे कि मुहायदावय वापस करते समय परिवादी, गौरव सिंह को वापस करेगा।

इसी बिन्दु पर आगे डी0डब्लू0–1 गौरव सिंह बयान दे चुका है कि मैने सुरेन्द्र सिंह से अपना मुहायदा दिनांक 13.10.2022 को वापस कराया था। मैने सुरेन्द्र सिंह को चेक पर हस्ताक्षर बनाकर दिया था, जिसमें धनराशि नहीं लिखी थी। जिरह में गौरव सिंह यह स्वीकार करते है कि परिवादी तथा गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह के मध्य अपनी जमीन का साढ़े तीन लाख रूपये में मुहायदावय हुआ था और सुरेन्द्र सिंह से साढ़े तीन लाख रूपये की चेक ली गयी थी और उसने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने सुरेन्द्र सिंह से मुहायदा दिनांक 13.10.2022 वापस कराया और सुरेन्द्र सिंह को उसने चेक पर हस्ताक्षर बनाकर दी थी और आगे जिरह में उसने यह भी बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा सुरेन्द्र सिंह को फर्जी चेक दी गयी हो।

अपीलार्थी के द्वारा अपने समर्थन में राघवेन्द्र द्विवेदी डी0डब्लू02 तथा नरेन्द्र सिंह डी0डब्लू03 को पेश करा गया है। राघवेन्द्र द्विवेदी डी0डब्लू02 व नरेन्द्र सिंह डी0डब्लू03 के द्वारा गौरव सिंह के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान का समर्थन किया है। इस प्रकार गौरव सिंह के द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन का समर्थन राघवेन्द्र द्विवेदी व नरेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया है, लेकिन जिरह में राघवेन्द्र द्विवेदी

डी0डब्लू02 द्वारा यह बयान दिया गया है कि मेरे सामने गौरव सिंह ने सुरेन्द्र सिंह को कोई चेक नहीं दी। सुरेन्द्र सिंह ने गौरव सिंह को दिनांक 13.10.2022 को मुहायदा वापस किया था। मैं उस समय मौके पर नहीं था। आगे यह साक्ष्य दिया है कि मुझे दोनों पक्षों ने 01.10.2022 को हुई पंचायत में बुलाया था। पंचायत में कोई लिखा–पढ़ी नहीं हुई थी। पंचायत में राजेन्द्र, गौरव, नरेन्द्र सिंह, मैं व बृजपाल मौजूद थे। डी0डब्लू02 राघवेन्द्र द्विवेदी द्वारा जिरह में यह स्पष्ट रूप से बयान दिया दिया है कि उसके सामने गौरव सिंह ने सुरेन्द्र सिंह को कोई चेक नहीं दी थी और जब मुहायदा वापस हुआ तो उस समय मैं मौके पर नहीं था। मुख्य परीक्षा में यह साक्षी यह बयान देता है कि दिनांक 13.10.2022 को गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह को सुरेन्द्र सिंह के द्वारा मुहायदा वापस कर दिया गया था, लेकिन जिरह में यह भी बयान दिया है कि जिस समय मुहायदा वापस करा गया, उस समय वह मौके पर नहीं था। इसी प्रकार चेक देने के बिन्दु पर यह बयान दिया है कि उसके सामने सुरेन्द्र सिंह को कोई चेक नहीं दी गयी। इन दोनों ही बिन्दुओं पर डी0डब्लू02 राघवेन्द्र द्विवेदी के द्वारा दी गयी मुख्य परीक्षा अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है और विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

डी0डब्लू0–3 नरेन्द्र सिंह मुख्य परीक्षा में यह बयान देता है कि जब सुरेन्द्र सिंह ने राजेन्द्र सिंह व गौरव सिंह का मुहायदा वापस किया था, उस समय मै मौजूद नहीं था। उन्होंने जिरह में यह बयान दिया है कि नीमगॉव में पंचायत लगभग 11–12 बजे लगी थी। उस पंचायत में राजेन्द्र सिंह, गौरव सिंह, सुरेन्द्र सिंह व खेड़ाकनार के दुबे जी थे तथा बृजपाल भी थे। जिरह में डी0डब्लू0–3 के द्वारा पंचायत में डी0डब्लू0–2 राघवेन्द्र की उपस्थिति के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मुख्य परीक्षा में उसने निश्चित रूप से राघवेन्द्र द्विवेदी को उपस्थित होना बताया है, लेकिन प्रतिपरीक्षा में राघवेन्द्र द्विवेदी की उपस्थिति बताने में असमर्थ रहा है और जिरह में आगे यह भी बयान दिया है कि पंचायत दिनांक 01.10.2022 को हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि पंचायत किस मुहायदा के बाबत हुई थी। मेरे सामने मुहायदा की कोई बात नहीं हुई थी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि पंचायत किस मुहायदा के बाबत हुई थी और न ही उसके सामने मुहायदा की कोई बात हुई थी। डी0डब्लू03 नरेन्द्र सिंह दिनांक 01.10.2022 को राजेन्द्र सिंह व गौरव सिंह, सुरेन्द्र सिंह व गांव के अन्य व्यक्तियों के मध्य पंचायत होने की बात करता है और मुख्य परीक्षा में वह पंचायत के उद्देश्य और पंचायत में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में भी बयान देता है। इस तरह साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसे यह नहीं मालूम कि पंचायत किस मुहायदा के बाबत हुई थी और उसके सामने मुहायदा के बाबत कोई बात भी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में यह साक्षी भी विश्वास किये जाने योग्य साक्षी नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा उसको मुहायदा की देय धनराशि सात लाख रूपये भुगतान नहीं करी गयी तो धनराशि की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पंचायत करी गयी थी और पंचायत में परिवादी के द्वारा मुहायदा वापस कर दिया गया था और पंचायत के निर्णय के अनुसार मुव0 3,50,000/–रूपये की नुमायशी चेक अपीलार्थी के द्वारा परिवादी सुरेन्द्र सिंह को दी गयी थी।

यहॉ पर प्रश्न यह भी उठ रहा है कि जब अपीलार्थी को उसकी प्रतिफल की धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो वह पंचायत करता है, लेकिन उसने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि जब पंचायत के फैसले के अनुसार दी गयी नुमाइशी चेक का परिवादी/प्रत्यर्थी पंचायत के फैसले के विपरीत जाते हुए बैंक को भुगतान के लिए चेक पेश करता है तो इस तथ्य के खिलाफ अपीलार्थी के द्वारा पंचायत क्यों नहीं बुलाई गयी। यहां पर यह बात समझ से परे है कि अपीलार्थी, परिवादी के द्वारा किये गये इस कृत्य के विरूद्ध तो पंचायत बुला लेता है, लेकिन जब परिवादी पंचायत के निर्णय का सम्मान नहीं करता है तो फिर वह पंचायत क्यों नहीं बुलाता है। निश्चित रूप से अपीलार्थी के द्वारा पंचायत बुलाये जाने का कथन और पंचायत के फैसले के अनुसार नुमाइशी चेक दिये जाने का तथ्य भी विश्वास योग्य नहीं है।

यहां पर मैं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके अन्दर चेक धारक के पक्ष में उपधारणा का प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधान करा गया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो तब तक यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने धारा 138 के अंतर्गत विधिक प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान स्वरूप प्राप्त किया है।

धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 तथा उपरोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चेक संख्या 252176 विधिक दायित्व के भुगतान हेतु प्रत्यर्थी/परिवादी को दिया गया था।

12. उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरेन्द्र सिंह तथा गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह के मध्य भूमि का विक्रय करने के लिए मुहायदावय सात लाख रूपये में तय हुआ था और बाद में गौरव सिंह व राजेन्द्र सिंह के द्वारा मुहायदा वापस करने के लिए परिवादी से कहा गया तो परिवादी के द्वारा दिनांक 13.10.2022 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मुहायदा को प्रतिपक्षी गौरव सिंह को वापस कर दिया, जिसके एवज में प्रतिपक्षी ने चेक संख्या 252176 खाता संख्या 610610700003437 आर्यावर्त बैंक शाखा शेखपुर जागीर अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी करी गयी और उपरोक्त साक्ष्य की परिचर्चा से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि परिवादी सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में अपीलार्थी/

प्रत्यर्थी के द्वारा अपने एक विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी करा गया है, क्योंकि परिवादी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त की भूमि दिनांक 27.01.2021 को मुहायदावय के द्वारा खरीदा गया था, जिसे कि इस मुहायदावय को अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादी से वापस करने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से दिनांक 13.10.2022 को परिवादी के द्वारा मुहायदावय को अपीलार्थी/अभियुक्त को वापस कर दिया गया, जिसके एवज में अभियुक्त/अपीलार्थी के द्वारा तीन लाख पचास हजार रूपये का चेक परिवादी के पक्ष में जारी करा गया।

परिवादी/प्रत्यक्षी के द्वारा पत्रावली पर कागज संख्या 7क सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में गौरव के द्वारा जारी करे गये तीन लाख पचास हजार रूपये के चेक की मूल प्रति दाखिल करी गयी है तथा साथ में भारतीय स्टेट बैंक कुठौंद शाखा के द्वारा रिटर्न मेमो रिपोर्ट दिनांकित 28.12.2022 की मूल प्रति पेश करी गयी है, जिसमें यह उल्लेख है कि चेक संख्या 252176 अपर्याप्त धन के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता। चेक जारीकर्ता गौरव के द्वारा चेक पर खाता संख्या 610610700003437 अंकित कराया गया है और यह चेक दिनांक 13.10.2022 को जारी करी गयी है। बैंक के द्वारा दिये गये रिटर्न मेमो में भी यह उल्लेख है कि यह चेक संख्या 252176 को खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादृत कर दी गयी थी।

चेक के भुगतान/धारक के द्वारा चेक के बाउंस होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर चेक जारीकर्ता व्यक्ति को चेक की धनराशि के भुगतान किये जाने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू01 के द्वारा यह बयान दिया गया है कि दिनांक 19.11.2022 को चेक संख्या 252176 भारतीय स्टेट बैंक शाख कुठौंद में अपने खाते में लगायी तो रिटर्न मेमो के साथ अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी लगाकर वापस कर दी। इसके बाद शपथकर्ता ने दिनांक 28.12.2022 को अपने खाते में लगायी जो बैंक द्वारा पुनः पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वापस कर दी गयी और शपथकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06.01.2023 को नोटिस दिया, जिसमें भूलवश वादी के पिता के स्थान पर प्रतिपक्षी के पिता का नाम अंकित हो गया, इसलिए शपथकर्ता द्वारा पुनः दिनांक 17.01.2023 को प्रतिपक्षी को नोटिस दिया गया। इसके बाद प्रतिपक्षी द्वारा अपने अधिवकता के माध्यम से नोटिस का जबाव दिया गया।

जिरह में डी0डब्लू0–1 गौरव सिंह के द्वारा यह बयान दिया गया है कि चेक बाउंस होने के बाद मुझे नोटिस दिनांक 17.01.2023 को दिया गया था। उसके बाद दिनांक 06.01.2023 को दूसरा नोटिस दिया था। मुझे सुरेन्द्र सिंह ने धनराशि नहीं दी थी, इसलिए मैने सुरेन्द्र सिंह को चेक की धनराशि अदा नहीं की थी। मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू0–1 सुरेन्द्र सिंह के बयान से स्पष्ट है कि दिनांक 06.01.2023 व 17.01.2023 को सुरेन्द्र सिंह के द्वारा गौरव सिंह को चेक के अनादृत होने व चेक की धनराशि के

भुगतान किये जाने के संबंध में नोटिस दिया गया था और इस बात को गौरव सिंह ने अपने बयान में स्वीकार भी किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसने सुरेन्द्र सिंह को चेक की धनराशि अदा नहीं की थी और दिनांक 06.01.2023 व 17.01.2023 के नोटिस को भी स्वीकार किया है। पत्रावली पर परिवादी द्वारा दिये नोटिस तथा अपीलार्थी द्वारा दिया गया नोटिस भी मौजूद है।

13. अपीलार्थी के द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि परिवादी के द्वारा अपीलार्थी को काल बाधित नोटिस देते हुए चेक बाउंस होने के संबंध में अवगत कराया गया था और आगे यह कथन करा गया है कि परिवादी के द्वारा दिनांक 19.11.2022 तथा 28.12.2022 को दो बार चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश करा गया था और जब पहली बार दिनांक 19.11.2022 को परिवादी के द्वारा चेक संख्या 252176 को भुगतान के लिए बैंक को पेश करा तो उसके बाद बैंक के द्वारा चेक अनादृत करने के संबंध में सूचना दिये जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर परिवादी को अपीलार्थी को नोटिस दिया जाना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था विजय कुमार बनाम यशपाल सिंह (2005) एस0सी0सी0 417 का सम्प्रेक्षण महत्वपूर्ण हैः–

“The payee has the discretion to present the cheque for payment not once but on several occasions during the validity period. But once he issued notice under cl. (b) of the proviso he forfeits his right to do so and if the payment is not made within 15 days of the service of notice, his cause of action to file the complaint arises. But cause of action to file the complaint on non-payment despite notices arises only once. Dishonor of cheque on each presentable gives rise to a right to the payee to present the cheque for payment but it does not give rise to fresh cause of action because the cause of action arises only once when no payment was made within 15 days of the service of notice”

उपरोक्त विधि व्यवसथा से स्पष्ट है कि चेक की वैधता की अवधि में चेक को एक बार से अधिक भुगतान के लिए बैंक में पेश किया जा सकता है, जो धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत परिवादी को केस दायर करने के लिए वाद हेतुक तभी पैदा होता है, जबकि चेक जारीकर्ता व्यक्ति के द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन की अवधि के मध्य अनादृत चेक की अनादृत धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है। परिवादी के द्वारा चेक के भुगतान के लिए दिनांक 19.11.2022 को बैंक में पेश करा गया था और चेक के अनादृत होने पर उसके बाद दिनांक 28.12.2022 को भी बैंक में पेश करा गया था और जब दिनांक 28.12.2022 को चेक का भुगतान बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, फिर परिवादी के द्वारा दिनांक 28.12.2022 से एक माह की अवधि के

मध्य दिनांक 06.01.2023 व 17.01.2023 को प्रातिपक्षी को नोटिस देते हुए चेक की धनराधि के भुगतान करने की अपेक्षा करी गयी थी, लेकिन जैसा कि डी0डब्लू0–1 के द्वारा बयान दिया जा चुका है कि उनके द्वारा चेक की धनराशि अदा नहीं की गयी।

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने निर्णय में परिवादी तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के मध्य मुहायदा होने तथा उसके वापस किये जाने तथा मुहायदा के वापस होने पर अपीलार्थी के द्वारा परिवादी के पक्ष में तीन लाख पचास हजार रूपये का चेक संख्या 252176 जारी किये जाने और इस चेक के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के तथ्य पत्रावली पर पेश करे गये साक्ष्यों पर निष्कर्ष दिया गया है और अपीलार्थी को परिवादी के द्वारा चेक अनादृत होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के बिन्दु पर भी परिचर्चा करते हुए निष्कर्ष दिया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त बिन्दु पर अपना निष्कर्ष पत्रावली पर पेश करे गये साक्ष्य पर करा गया है।

14. पत्रावली पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तथा परिवादी के द्वारा पेश करी गयी साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादी सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में चेक संख्या 252176 खाता संख्या 610610700003437 आर्यावर्त बैंक शाखा शेखपुर जागीर धनराशि 3,50,000/–रूपये जारी करी गयी थी और इस चेक को अभियुक्त/अपीलार्थी के द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी करा गया था। इस प्रकार अभियुक्त/अपीलार्थी/प्रतिपक्षी गौरव सिंह के द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी के पक्ष में विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु एक चेक जारी करी गयी थी और चेक की वैधता की अवधि में चेक प्राप्तकर्ता सुरेन्द्र सिंह के द्वारा चेक को दो बार दिनांक 19.11.2022 एवं 28.12.2022 को चेक की धनराशि के भुगतान के लिए बैंक को पेश करा गया, परन्तु बैंक के द्वारा अपर्याप्त फण्ड होने के आधार पर चेक को बाउंस कर दिया गया, जिसके पश्चात चेक प्राप्तकर्ता/प्रत्यर्थी/परिवादी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 06.01.2023 व 17.01.2023 को अनादृत चेक की धनराशि के भुगतान के लिए नोटिस दिया गया, जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा नहीं करा गया। इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनतर्गत दोषसिद्ध करा गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा परिवादी तथा अपीलार्थी/ अभियुक्त के द्वारा पेश करे गये साक्ष्य की विस्तृत रूप से परिचर्चा करने के उपरान्त निर्णय दिया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपील निरस्त किये जाने योगय है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी/अभियुक्त गौरव सिंह द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 49/2025 निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 416/2023

सुरेन्द्र सिंह बनाम गौरव सिंह अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट थाना कुठौन्द, जिला जालौन के प्रकरण में पारित निर्णय/दण्डादेश दिनांकित 21.07.2025 पुष्ट किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त गौरव सिंह जमानत पर उपस्थित है। अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत बंधपत्र निरस्त करते हुए जामिन्दारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

इस निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब भेजा जाए।

दिनांक–20.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6525

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–20.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6525